न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 22/2021 GCMS NO 2021/138
दायरा तिथि : 02.08.2021
आदेश तिथि : 27-12-2021

प्रार्थी :–
महावीरसिंह पुत्र जबरसिंहजी जाति राजपुत
निवासी खेजडलीकलां जोधपुर जिला जोधपुर (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक : 27-12-2021

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा ग्राम बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 883, 884 रकबा क्रमशः 1.33 हैक्टर, 0.74 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम बिसलपुर के खसरा नंबर 873 रकबा 1.01 हैक्टर किस्म बारानी दोयम मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से 30 फीट चौडाई में नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2021/1490 दिनांक 25.08.2021 से प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 883, 884 रकबा 2.07 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की खातेदारी भूमि श्री महावीरसिंह पुत्र जब्बरसिंह जाति राजपूत निवासी खेजडीकलां तहसील व जिला जोधपुर के नाम दर्ज हैं। खातेदार की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन के हेतु प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य नजदीक विकल्प मौजूद नहीं हैं। प्रार्थी आवेदित रास्ते की भूमि से ही आना जाना करते है।

2. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	873	1.01 हैक्टर	बारानी दोयम	50X 9.14= 457 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक काबिल काश्त भूमि

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम बिसलुपर की डी.एल.सी. दर 148140/– रूपये प्रति हैक्टर है।

4 .प्रस्तावित रास्ते की भूमि खसरा नंबर 873 में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं हैं। एवं न ही अन्य कोई भी क्षति होगी।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ज्ञात हैं कि आवेदक प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर के खसरा नंबर 883 व 884 में वर्तमान में रेकर्डेड कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, तथा प्रार्थी आवेदित खसरा नंबर 873 से ही आना जाना करता है। जिससे प्रार्थी की रास्ते बाबत् मांग न्यायोचित है।

पेज लगातार.............02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 22/2021 GCMS NO 2021/138

अनवान महावीरसिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 883, 884 रकबा क्रमशः1.33 हैक्टर व 0.74 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि में आवागमन हेतु **राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम बिसलपुर** के खसरा नंबर 873 रकबा 1.01 हैक्टर मेंसे कुल 457 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 148140/– प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
873	1.01	50X9.14=457 वर्गमीटर	14.84	6782 X2=13564	राजकीय सिवायचक भूमि

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **13564/– (अक्षरे तेरह हजार पांच सौ चौसठ मात्र)** रुपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राजकोष में जमा कराई जावेगी। तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक :27-12-2021

क्रमॉक/कोर्ट/2021/

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3. पटवारी हल्का, बिसलपुर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री महावरीसिंह पुत्र श्री जब्बरसिंह जाति राजपुत निवासी खेजडलीकलां जोधपुर को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner